5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

124

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2012– विदिशा

R. 3668- PBR/12

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभि॰ द्वारा आज दि. 25.10.12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25/10/12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती विद्या पत्नी राजकुमार उर्फ राजाबाबू, दत्तक पुत्री गौरीशंकर, जाति–ब्राह्मण, निवासी– उकायला, वार्ड नं. 4, गंजबासौदा, जिला विदिशा,

..... आवेदिका

बनाम

1. मुन्नीबाई पुत्री जमना प्रसाद पत्नी सुरेश कुमार
2. शिव नारायण पुत्र जमना प्रसाद,
3. रामचरण पुत्र जमना प्रसाद, सभी जाति ब्राह्मण, सभी निवासी–ग्राम उकायला, तहसील–बासौदा, विदिशा

.......अनावेदकगण

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 25/10/2012

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत अम्बा नगर विदिशा के प्रकरण कमांक 12/अ–27/2011–12 मुन्नीबाई बनाम रामचरण आदेश दिनांक 24–09–2012 को पारित ।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार पेश हैं :–

यह कि, विवादित आराजी मूल भूमि स्वामी जमना प्रसाद जी थे की प्रथम पत्नी से पुत्र रामचरण एवं गौरीशंकर थे, दूसरी पत्नी से शिवनारायण एवं एक पुत्री मुन्नीबाई पैदा हुये, के मध्य बटवारा–25–11–2000 हुआ, गौरीशंकर अपाहिज अविवाहित होने के नाते रामचरण की पुत्री श्रीमती विद्याबाई पुत्री रामचरण पत्नी राजकुमार दत्तक पुत्री गौरीशंकर माना, गौरीशंकर के बाद उसके हिस्से में विवाद न बने इस हेतु गौरीशंकर ने एक वसीयतनामा दिनांक 28–06–2007 विद्याबाई के हित में संपादित किया, गौरीशंकर की मृत्यु के बाद दत्तक/वसीयतनामा के आधार पर गौरीशंकर के हिस्से पर विद्याबाई का विधिवत् नामांतरण चाहा जो दिनांक 28–02–2009 स्वीकार हुआ, के बाद अपील में खारिज किया, इसके बाद नायब तहसीलदार वृत अम्बा नगर, विदिशा के यहां एक नया प्रकरण क्र.–12/अ–27/2011–12 मुन्नीबाई बनाम रामचरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की जिसमें विद्याबाई को पक्षकार

XXIX(a)-BR(H)-11

124

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3668-पीबीआर/12 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 21-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	